सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
वैशाख 31, बुधवार, *शाके* 1947- मई 21, 2025 *Vaisakha 31, Wednesday, Saka 1947- May 21, 2025*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

आपदा प्रबन्धन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 24, 2025

पत्रांकःएफ.8(7)आ.प्र.एवं सहा./आ.प्र./2025/Rajkaj Ref No./14520635:- विभागीय अधिसूचना दिनांक 11.01.2010 (राजस्थान राज-पत्र के विशेषांक अधिसूचना 2010) के अनुरूप आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 25 के तहत राज्य सरकार एतद्द्वारा राज्य के नवगठित जिलो के लिए (फलौदी, बालोतरा, ब्यावर, सलूम्बर, डीग, डीडवाना-कुचामन, खैरथल-तिजारा व कोटपूतली-बहरोड) एक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसके द्वारा गठित करती है जो (जिले के नाम से) आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के रूप में जाना जायेगा।

प्रत्येक जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण निम्नलिखित से मिलकर गठित होगाः-

(i) कलक्टर और जिला मजिस्ट्रेट अध्यक्ष

(ii) प्रमुख, जिला परिषद सह अध्यक्ष

(iii) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद सदस्य

(iv) जिला पुलिस अधीक्षक सदस्य

(v) जिले के सार्वजनिक निर्माण विभाग का वरिष्ठतम अधिकारी सदस्य

(vi) जिले के जल संसाधन विभाग का वरिष्ठतम अधिकारी सदस्य

(vii) अपर कलक्टर/अपर जिला मजिस्ट्रेट मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्राधिकरण के, निम्नलिखित, स्थायी आमंत्रित होंगेः-

(i) जिले से निर्वाचित संसद (लोकसभा) सदस्य।

(ii) जिले के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले विधान सभा सदस्य।

(iii) जिले में पदस्थापित जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, चिकित्सा विभाग और पशुपालन विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी।

जिला प्राधिकरण का अध्यक्ष, विशेष परिस्थितियो में, यदि वह आवश्यक समझे, तो किसी भी व्यक्ति को विशेष आमंत्रित के रूप में आमंत्रित कर सकेगा।

जिला प्राधिकरण, राज्य सरकार या केन्द्र सरकार के अधीन किसी विभाग के किसी जिला स्तरीय अधिकारी को, जो प्राधिकरण का सदस्य नही है, सहयुक्त कर सकेगा, यदि प्राधिकरण यह वांछनीय समझे कि उसकी उपस्थिति तुरन्त निवारण, शमन और प्रतिक्रिया के लिए आवष्यक है।

जिला प्राधिकरण का कार्यालय और कर्मचारीवृन्दः- जिला प्राधिकरण का कार्यालय अपर जिला मजिस्ट्रेट और कलक्टर/कलेक्ट्रेट के सहायता अनुभाग के भारसाधक अधिकारी के कार्यालय में होगा और समस्त आवश्यक कर्मचारीवृन्द उस कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये जायेंगें।

जिला प्राधिकरण की शक्तियां और कृत्यः- जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,-

(i) अधिनियम की धारा 30, 31, 33 और 34 के अधीन इसे न्यस्त समस्त कृत्यों का पालन करेगा।

(ii) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो, इसे राज्य सरकार या राज्य प्राधिकरण द्वारा समनुदेशित किये जाये।

(iii) ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो वह जिले में आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक समझे।

(iv) नीतिगत निर्णयों के लिए अपेक्षित ऐसे समस्त मामले राज्य प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

भगवत सिंह,
शासन संयुक्त सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।